22/5/17 [illegible]

20/6/17 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017
आज दिनांक / /2017 को ग्राम पंचायत [illegible]
के अटल सेवा केन्द्र पर पेश हुई [illegible] पक्षकारगण या वकील कोई भी नहीं आये जो कोई तलबी बाबत पोस्ट कार्ड अवधि व पाबंदी के अन्दर प्रेषित किये जाने उपरान्त भी लम्बे समय से पक्षकारगण वकीलगण प्रतिवादीगण की तलबी बाबत आदेशों की पालना नहीं की है की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षा पर डाल कर अनुपस्थिति, अपूर्ण एवं अनुपयुक्त अनुपालना तलबी बाबत आदेशों की नहीं करने पर अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के वादी गण पर वाद खारिज किया जाता है। कि जिसे मुकदमे का न चलाने का कारण वादी का पक्ष जिम्मेदार है। मजकूर अमल कुमाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner